

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 206]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2011—चैत्र 11, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2011

क्र. एफ ए-3-13-2011-1-पांच (23).—मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद और विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) (जो इसमें इसके पश्चात् अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट स्वामियों के वर्ग को सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा उक्त सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

सारणी

स्वामियों का वर्ग (1)	छूट की सीमा (2)	निर्बन्धन तथा शर्तें, जिनके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है (3)
अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वामी.	अंशतः जिससे कि अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (तीन) के अधीन कर की दर घटकर शून्य प्रतिशत हो जाए.	किसी ऐसे सिनेमाहाल में उपलब्ध कराए गए मनोरंजन के संबंध में छूट उपलब्ध होगी जिसमें प्रवेश के लिये धनीय प्रतिफल रुपये तीस से अधिक नहीं है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2011

क्र. एफ ए-3-13-2011-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-13-2011-1-पांच (23), दिनांक 1 अप्रैल 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 1st April 2011

No. F A-3-13-2011-1-V (23).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Madhya Pradesh Vilasita, Manoranjan, Amod Evam Vigyapan Kar Adhiniyam, 2011 (No. 11 of 2011) (hereinafter referred to as the Act), the State Government, hereby, exempt the class of proprietors specified in column (1) of the Table below from payment of tax under the Act to the extent specified in column (2) and subject to the restrictions and conditions specified in column (3) of the said Table :—

TABLE

Class of Proprietors (1)	Extent of exemption (2)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (3)
Proprietors registered under the Act.	Partly so as to reduce the rate of tax to zero percent under sub-clause (iii) of clause (b) of sub-section (1) of Section 6 of the Act.	The exemption shall be available in respect of entertainment provided in a cinema hall, wherein monetary consideration for admission is not more than rupees thirty.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.